



# JALAUN POLICE



## जिलाबदर

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन ने 01 अभ्यस्त अपराधी (जितेन्द्र सिंह), जिसके विरुद्ध जनपद के थानों में गंभीर धाराओं गुडा अधि० आदि में अभियोग पजीकृत हैं, को दिनांक-13.08.2026 से 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर किया/कराया गया है।

जिलाबदर अभियुक्त निष्कासन की अवधि में लिखित रूप से अवगत करायेगा कि वह किस राज्य/जनपद/थाना/शहर/मुहल्ला/गाँव में निवास करेगा एवं निष्कासन अवधि में अपने साथ अस्त्र, शस्त्र व आग्नेयशस्त्र इत्यादि धारण नहीं करेगा, यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि० 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त कार्यवाही से 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को अवगत करायेंगे।

**विवरण जिलाबदर अभियुक्त -1.** जितेन्द्र सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चौरसी कोतवाली उरई जनपद जालौन